



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 1414 / 12-1 दिनांक, चकराता 10 नवम्बर 2017

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, हरद्वार,
मुख्यालय-कालसी।

विषय- जनपद-देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत त्यूनी-चौदनी-प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 है० का वन भूमि को गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1453 दि० 30.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवयु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/०६/172/2016/एफ०सी०/1224 दि० 12.10.2017 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	9.88 है०	2,53,332/-	25,02,920.00
2	एन०पी०वी०	4.94 है०	6,57,000/-	32,45,580.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 1414 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Sri maya Ram

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।